कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पत्रांक–वा0क0अधि0/उपस्थिति/ 594 /2023. लखनऊ::दिनांक::फरवरी 16, 2023.

--:: परिपत्र ::–

मेरे द्वारा पीठों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की समय से कार्यालय उपस्थिति के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश परिपत्र के माध्यम से जारी गये हैं परन्तु मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय पीठ कार्यालय में कर्मचारीगण समय से उपस्थित नहीं हो रहे है तथा कार्यालय समय से पूर्व कार्यालय छोड़ देते हैं और यह स्थिति उन पीठों में अधिक चिन्ताजनक है जिन पीठों में सदस्य का पद रिक्त है। शासन द्वारा कार्यालय में समय से उपस्थिति के सम्बन्ध में अनेकों शासनादेश जारी किये गये हैं। राजकीय कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु कर्मचारियों का समय से कार्यालय उपस्थित होना आवश्यक है। कर्मचारियों की समयबद्व उपस्थिति सुनिश्चित करना सदस्य/प्रभारी सदस्य का उत्तरदायित्व है।

कर्मचारियों की समयबद्व उपस्थिति के सम्बन्ध में मेरे द्वारा किसी भी पीठ का औचक निरीक्षण दूरभाष द्वारा किया जा सकता है। औचक निरीक्षण के समय कर्मचारियों के अनुपस्थित पाये जाने की स्थिति में इसका उत्तरदायित्व सदस्य/प्रभारी सदस्य का होगा और अनुपस्थित कर्मचारियों के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अतः समस्त अधिकारी व कर्मचारी समय से कार्यालय उपस्थित रहना सुनिश्चित करें तथा कार्यालय समय के पूर्व कार्यालय न छोड़े।

ह0/16.02.2023
(अरविन्द मलिक)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।
2– वरिष्ठ सहायक(विवरण), मुख्यालय को गार्ड हेतु।
3– वेब अधिकारी, मुख्यालय।

आज्ञा से,
(तरुण कुमार)
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।